

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक : प 7(1)(3) पंचा/रानिआ/14-15/ 2750

दिनांक : 7/8/19

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) (कलक्टर), राजस्थान।

विषय:-पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों में विडियोग्राफी करवाने के संबंध में।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की सभी शक्तियां आयोग में निहित हैं। अतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है।

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने एवं निर्वाचन से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं की व्यापक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सारगर्भित जानकारी संकलित करने के लिए विडियोग्राफी कराई जानी आवश्यक है ताकि निर्वाचनों को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशन में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जिन गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराई जानी है उनका विवरण निम्नानुसार है:-

A – ऐसी गतिविधियां जिनकी वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कराई जानी हैं:-

1. ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच।
2. मतदान के लिए ईवीएम तैयार करने एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखने संबंधी प्रक्रिया।
3. ऐसे मतदान बूथ जिनका गत चुनावों में बूथ कैपचरिंग/झगडा/दंगा आदि का पूर्व इतिहास रहा हो एवं जिन्हें वल्नरेबल (Vulnerable) एवं क्रिटिकल (Critical) बूथों घोषित किया गया हो।
4. मतदान के दौरान चुनाव संबंधित हिंसा/उपद्रव/पत्थरबाजी/आगजनी आदि की घटनाएं।
5. उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को डराने/धमकाने/लुभाने संबंधी गतिविधियां।
6. पर्यवेक्षक द्वारा निर्देशित किसी गतिविधि।
7. जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए सम्पूर्ण मतगणना प्रक्रिया।
8. यदि किसी भी पद का परिणाम अभिनिश्चित करने के लिए लॉट प्रक्रिया अपनाई जाती हैं, तो सम्पूर्ण लॉट प्रक्रिया।
9. मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीनों के एसडीएमएम को सील एवं संग्रहण करने संबंधी प्रक्रिया।
10. ऐसे अन्य गतिविधियां जो राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च को प्रदर्शित करतीं हो। जैसे बड़े-बड़े 'कट आउट' /होर्डिंग, बैनर इत्यादि।

B – ऐसी गतिविधियां जिनकी वीडियोग्राफी जिला निर्वाचन अधिकारी/उपजिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी अपने स्वविवेक के आधार पर कराने का निर्णय ले सकते हैं:-

निर्वाचन के दौरान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां ऐसी हो सकती हैं जिनकी वीडियोग्राफी कराने का निर्णय संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्समय ही लिया जा सकता है :-

1. चुनाव प्रचार हेतु की जाने वाली ऐसी सभाएं जिन्हें किसी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय जनप्रतिनिधियों द्वारा संबोधित किया जा रहा हो एवं उनमें आचार संहिता अथवा निर्वाचन विधि के उल्लंघन की शिकायत हो।
2. राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतदान केन्द्र के सौ मीटर के अन्दर मत याचना संबंधी गतिविधियां।

3. ऐसी अन्य कोई गतिविधियां जिनमें आचार संहिता अथवा निर्वाचन विधि का उल्लंघन हो रहा हो।
4. अन्य ऐसी कोई गतिविधियां जिनकी वीडियोग्राफी कराना जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी अथवा मौके पर उपस्थिति पुलिस अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाए।

C – पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन संबंधी गतिविधियों की वीडियोग्राफी हेतु नियोजित किए गए वीडियोग्राफर निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेंगे :-

1. वीडियोग्राफर का किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं होना चाहिए।
2. ऐसे वीडियोग्राफर की सेवाएं नहीं ली जाएं जिसका कोई अभिन्न मित्र या रिश्तेदार चुनाव लड़ रहा हो।
3. वीडियोग्राफर निर्वाचन अवधि के दौरान अपनी सेवाएं किसी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार को उपलब्ध नहीं कराएगा।
4. वीडियोग्राफर राजनैतिक दलों/कार्यकर्ताओं का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा।
5. वीडियोग्राफर रिटर्निंग अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित चुनाव से सम्बन्धित अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेगा।
6. वीडियोग्राफर को कार्य सुपुर्द करने से पूर्व उन घटनाओं के बारे में स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि उसे किन घटनाओं की वीडियोग्राफी करनी है। यदि वीडियोग्राफर द्वारा उसे दिए गए निर्देशों से बाहर जाकर वीडियोग्राफी की जाती है तो ऐसी अवांछित रिकार्डिंग के लिए भुगतान नहीं किया जाए।
7. वीडियोग्राफर द्वारा निम्न प्रारूप में एक लॉग बुक का संधारण कर प्रत्येक रिकार्डिंग का इन्द्राज किया जाएगा। वीडियोग्राफी का कार्य समाप्त होने के पश्चात् वीडियोग्राफर द्वारा लॉग बुक को रिटर्निंग अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा।

जिले का नाम		पंचायत समिति का नाम			
दिनांक	समय	वीडियोग्राफी के स्थान का विवरण	रिकार्ड की गई घटना का विवरण	रिकार्डिंग का कुल समय	जिस अधिकारी के निर्देशन में वीडियोग्राफी कराई गई, उस अधिकारी का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6

8. रिकार्डिंग से पूर्व वीडियोग्राफर द्वारा वीडियो कैमरे में समय एवं दिनांक सेट किया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिकार्डिंग में समय एवं दिनांक डिस्प्ले हो रहा है।
9. वीडियोग्राफर एवं चुनाव से संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया जाए कि वीडियोग्राफी की गोपनीयता व सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि रिकार्डिंग के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न हो और न ही इस तक किसी अनाधिकृत व्यक्तियों की पहुंच हो।

D – रिकार्ड की गई गतिविधियों की निगरानी :-

रिटर्निंग अधिकारी ऐसी समस्त रिकार्डिंग का नियमित अवलोकन कर यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी सभाओं/गतिविधियों के आयोजकों/नेताओं/वक्ताओं/संभागीयों द्वारा किसी भी प्रकार से चुनाव नियमों या आदर्श आचार संहिता या वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टर, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध हेतु आयोग द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। यदि किसी मामले में आचार संहिता अथवा आयोग द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों का उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में रिटर्निंग अधिकारी तुरन्त कार्यवाही करेंगे।

20.9

E – रिकार्ड की गई सीडी/डीवीडी के रिकार्ड का संधारण :-

ऐसी समस्त रिकार्डिंग एवं अभिलेख जो इन आदेशों की पालना में तैयार किए गए हैं, चुनाव के अभिलेख का अंश माने जाएंगे और इन्हें पूर्ण सावधानी एवं सुरक्षा के साथ तब तक संग्रहित रखा जाएगा जब तक कि इन्हें आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, जैसी कि अन्य अभिलेखों के बारे में निर्धारित है के अनुसार नष्ट नहीं किया जाता है। ऐसे समस्त अभिलेख, अन्य चुनाव सम्बन्धी अभिलेखों की भाँति ही सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। ऐसे समस्त सीडी/डीवीडी की रिकार्डिंग को दिनांक व स्थान तथा रिकार्ड की गई घटना के संक्षिप्त विवरण को दर्शित करते हुये रिकार्ड में रखा जायेगा।

F – रिकार्ड की गई सीडी/डीवीडी के रिकार्ड का संधारण :-

यदि राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से रिकार्डिंग के अवलोकन एवं उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राप्त होते रहते हैं तो ऐसे आवेदनों के निस्तारण हेतु समान मापदण्ड अपनाते हुए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए :-

1. रिकार्डिंग के निरीक्षण हेतु लिखित में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर ऐसे आवेदक को रिकार्डिंग निरीक्षण के लिए 25/- प्रति घंटा का शुल्क लिया जाएगा। "अत्यावश्यक निरीक्षण" के लिए यही शुल्क 50/- प्रति घंटा होगा। साधारण निरीक्षण आवेदन की दिनांक के पश्चातवर्ती दिवस या बाद के किसी दिन करवाया जाएगा परन्तु "अत्यावश्यक निरीक्षण" की स्थिति में उसी दिन निरीक्षण करवाया जाएगा।
2. यदि किसी आवेदक द्वारा रिकार्डिंग की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाता है तो :-
 - (क) आवेदक को रिकार्डिंग की प्रमाणित प्रति 25/-रुपये के आवेदन शुल्क एवं स्थानीय स्तर पर निर्धारित व्यय, लेकर दी जा सकेगी। ऐसे प्रत्येक आवेदक को निरीक्षण करने एवं प्रति प्राप्त करने के अपने अधिकार को साबित करना होगा एवं यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा कि आवेदक का उस रिकार्डिंग में किस प्रकार से समुचित हित निहित है।
 - (ख) सरकारी उपयोग हेतु निरीक्षण या प्रति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। रिकार्डिंग से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ या नुकसान नहीं हो, इस के लिए प्रभावी सतर्कता रखी जाएगी एवं रिकार्डिंग का एकाधिक व्यक्तियों द्वारा सामुहिक निरीक्षण भी वर्जित रहेगा।
3. किसी रिकार्डिंग की विषय वस्तु के बारे में किसी प्रकार की प्रमाणिकता या सत्यापन नहीं दिया जाएगा बल्कि "जैसी है, जहां है" के आधार पर उपलब्ध करवायी जाएगी।

आज्ञा से,

(शुचि स्थानी)
सचिव

दिनांक : 7/8/19

क्रमांक:- प 7(1)(3) पंचा/रानिआ/14-15/ 2751-55
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

अशोक कुमार जैन
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव